ायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

ठासीन अधिकारी मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
ल संख्या :– 12/2012 निर्णय दिनांक :– 28.11.2024

नवानी दावा :

~~रामकरण पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी~~ (मृतक)
1/1–मोजीराम पुत्र रामकरण जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी
1/2–भैरूलाल पुत्र रामकरण जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी
1/3–जगदीश पुत्र रामकरण जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी
1/4–राजूलाल पुत्र रामकरण जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी
1/5–श्योजीकुमार पुत्र रामकरण जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी
1/6–रामकन्या बेवा रामकरण जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
–वादीगण–

बनाम

1. मांग्या पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
2. घासीलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
3. भूला बेवा भंवरलाल जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
4. कन्या पुत्री रामचन्द्र जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
5. कवरीलाल पुत्र रामनिवास जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
6. मंदनलाल पुत्र खाना जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
7. चौथमल पुत्र खाना जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
8. रामफूल पुत्र खाना जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
9. बाबूलाल पुत्र खाना जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
10. भूरी पुत्री खाना जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
11. गुलाब बेवा खाना जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
12. मूलिया पुत्र रामनिवास जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
13. प्रभु पुत्र रामनिवास जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
14. नाथूलाल पुत्र रामकुंवार जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
15. खानी पुत्री रामकुंवार जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
16. लादी पुत्री रामकुंवार जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक
17. राकेश पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र रामकुंवार जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जि0 टोंक
18. श्योराज पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र रामकुंवार जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जि0 टोंक
19. सोहनी पुत्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रामकुंवार जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जि0 टोंक
20. मेवा पुत्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रामकुंवार जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जि0 टोंक
21. गलोल बेवा लक्ष्मीनारायण पुत्र रामकुंवार जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जि0 टोंक
22. प्रहलाद पुत्र कल्याण जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जि0 टोंक
23. कैलाश पुत्र कल्याण जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जि0 टोंक
24. शान्ति पुत्री कल्याण जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जि0 टोंक
25. बरदी पुत्री कल्याण जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जि0 टोंक

28.11.2024

ोपी पुत्र मोती जाति कल्याण जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी जि0 टोंक तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक

–प्रतिवादीगण–

स्थिति :–

अशोक कुमार गुप्ता
धिवक्ता वादी

श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10, 15, 16, 19, 24 ता 26
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9, 11 ता 14, 17 ता 18, 20 ता 23 व 27

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज, स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है वादी की खातेदारी एवं कब्जे की आराजियात साबिक ख. नं. 1356/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ख. नं. 1357 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रक्बा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम घाड़ तहसील देवली जिला टोक स्थित है, जिसका वादी खातेदार, काश्तकार है और मोके पर काबिज है । हाल ही मे देवली तहसील में सेटलमेन्ट हुआ है और सेटलमेन्ट के दोरान काफी अनियमितताऐ की गई है। साबिक सा0 ख. नं. 1356/1 से हाल ख. नं. 1850 व साबिक ख. नं. 1357 से हाल ख. नं. 1849 बना दिये गये है। जब कि वास्तकिता यह है कि 1357 मिन नम्बर का रकबा हाल ख. नं. 1850 में मिला दिया गया है। साबिक ख. नं. 1357 से हाल ख. नं. 1849 गलत बनाये गये है । क्योकि मिलान शीट नही बनाये जाने के कारण मिलान क्षैत्रफल गलत बनाया गया है । सेटलमेन्ट के दोरान वादीगण की खातेदारी की जमीन मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 का नाम भी जमाबन्दी मे अकिंत कर दिया गया है जब कि उक्त सभी व्यक्तियो का वादी की खातेदारी की जमीन से कोई भी सम्बन्ध नही है। सेटलमेन्ट से पूर्व भी उक्त जमीन वादी की खातेदारी मे थी और सेटलमेन्ट के दोरान बिना किसी सक्षम न्यायालय एवमं अधिकारी के आदेश से उक्त जमीन मे प्रतिवादीगण नं. 1 ता 27 का नाम जोड़ दिया गया है जो बिल्कुल गलत है जिसको दुरुस्त किये जाने योग्य है। हाल ही में घाड़ ग्राम मे से दोलतपुरा ढाणी को राजस्व विलेज बना दिये जाने के कारण घाड़ ग्राम के सभी खसरा नम्बरान के नम्बर बदल दिये गये हे ओर ख. नं. 1850 रकबा 1.11 है0 के नये नम्बर 1339 रक्खा 1.11 है0

28.11.2024

गये है । हाल जमाबन्दी मे वादी का नाम दो बार अकिंत कर दिया गया रामकरण नाम का एक ही व्यक्ति है जिसके पिता का नाम रामचन्द्रा है। वादी ।ता सुख्खी बेवा रामचन्द्र का देहान्त हो गया है। जमाबन्दी मे अकिंत खातेदारान नकी मृत्यु हो चुकी है उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण ब्रोलकर जमाबन्दी मे लालस्याही से नोट लगा दिया गया है ओर जमाबन्दी में अंकन कर दिया गया है। हाल ख. नं. 1339 रकबा 1.11 है0 का वादी अकेला मालिक काबिज स्वामी है। सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त जमीन वादी की खातेदारी थी लेकिन सेटलमेन्ट में गलत रूप से प्रत्तिवादी सख्या' 1 ता 27 के नाम खातेदारी अंकित कर दी गई है उक्त प्रतिवादीगण के साथ वादी का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित कर दिया गया है लेकिन वादी का अकेले का नाम जमाबन्दी मे अंकित किया जाना चाहिये था इसलिये यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व दुरुस्ती इन्द्राज का श्रीमानकी सेवा में पेश है। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 27 आये दिन वादी के कब्जेकाश्त में मजाहमत करते है। इस कारण उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा भी पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नोकर चाकर के वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत नहीं करे और उक्त विवादित जमीन को अन्य किसी को रहन, दान, बेचान नही करे। तहसीलदार जी देवली को जमीन का लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है । बिनाय दावा आज से 7 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण नं. 1 ता 27 ने वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत की ओर वादी को विवादित जमीन से बेदखल करने की कोशिश की ।' विवादग्रस्त आराजियात्त व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है । दावा अ0 धारा 88,92–ए–188, रा0टि0 एक्ट के तहत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। वादी की अधियाचना है कि :–

अः– दावा बहक वादी विरूद्धा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 27 बाबत घोषणा खभातेदारी डिक्री किया जाकर वादी को साबिक 1356/1 व 1357 से बने नये नम्बर 1850 रकबा 1.11 है0 व इससे बने हाल नम्बर 1339 रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम घाड़ तहसील देवली जिला टोक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसी अनुरूप राजस्व रिकोर्ड मे से प्रतिवादी नं. 1 ता 27 का नाम विलोपित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह

20.11.2024

रिये ऐजेन्ट, नोकर चाकर के वादी की खातेदारी की जमीन में किसी प्रकार जाहमत नहीं करे, तथा विवादित जमीन को अन्य किसी को रहन, दान, बेचान ा करे ।

बः– खर्चा मुकदमा व सहायता दिलवायी जावे ।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9, 11 ता 14, 17 ता 18, 20 ता 23, 27 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादीगण नं. 10, 15, 16, 19, 24 ता 26 की ओर से अधिवक्ता कुलदीप शर्मा ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार हैः–

वाद पत्र का चरण नं. 1 स्वीकार है। वाद पत्र का चरणा नं 2 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 3 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 4 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 5 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 6 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 7 जानकारी के अभाव से अस्वीकार है। वाद पत्र का घरण नं. 8, 9, 10, 11 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादी द्वारा चाही गयी अधियाचना स्वीकार है।

प्रतिवादीगण नं. 10, 15, 16, 19, 24, 25 व 26 की ओर से इकबालिया जवाब पेश होने के कारण तनकियात बिन्दूओं की आवश्यकता नहीं होने से वाद साक्ष्यवादी में नियत किया गया।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र रामकरण पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी घाड़ तहसील दूनी की मृत्यु हो जाने से इस शपथ पत्र को निर्णय में शामिल नहीं किया गया है।

वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी मोजीराम पुत्र रामकरण जाति माली उम्र 32 वर्ष निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0,पी. डब्लयू–2 राजेश पुत्र मोती जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी घाड़ तहसील देवली/दूनी का पेश किया।

28.11.2024

वादी ने प्रदर्श डलवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस 2046, –2 नक्शा ट्रेस हाल, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संम्वत 2073–76, प्रदर्श–4 मिलान फल, प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2061–64, प्रदर्श–6 नकल ट्रेस साबिक, प्रदर्श–7 माबन्दी सम्वत 2065–68, प्रदर्श–8 जमाबंदी सेटलमेंट से पूर्व पेश किये है।

वादी नें साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 घासीलाल पुत्र कल्याण जाति भील उम्र 58 वर्ष निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 का पेश किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10, 15, 16, 19, 24, 25 व 26 ने साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे की आराजियात साबिक ख. नं. 1356/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ख. नं. 1357 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रक्बा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम घाड़ है, जिसका वादी खातेदार, काश्तकार है और मोके पर काबिज है । देवली तहसील में सेटलमेन्ट के दोरान काफी अनियमितताऐ की गई है। साबिक सा0 ख. नं. 1356/1 से हाल ख. नं. 1850 व साबिक ख. नं. 1357 से हाल ख. नं. 1849 बना दिये गये है। जब कि वास्तकिता यह है कि 1357 मिन नम्बर का रकबा हाल ख. नं. 1850 में मिला दिया गया है। साबिक ख. नं. 1357 से हाल ख. नं. 1849 गलत बनाये गये है । क्योकि मिलान शीट नही बनाये जाने के कारण मिलान क्षैत्रफल गलत बनाया गया है । सेटलमेन्ट के दोरान वादीगण की खातेदारी की जमीन मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 का नाम भी जमाबन्दी मे अकिंत कर दिया गया है जब कि उक्त सभी व्यक्तियो का वादी की खातेदारी की जमीन से कोई भी सम्बन्ध नही है। हाल ही में घाड़ ग्राम मे से दोलतपुरा ढाणी को राजस्व विलेज बना दिये जाने के कारण घाड़ ग्राम के सभी खसरा नम्बरान के नम्बर बदल दिये गये हे ओर ख. नं. 1850 रकबा 1.11 है0 के नये नम्बर 1339 रक्खा 1.11 है0 बना दिये गये है । हाल जमाबन्दी मे वादी का नाम दो बार अकिंत कर दिया गया जबक रामकरण नाम का एक ही व्यक्ति है जिसके पिता का नाम रामचन्द्रा है। वादी की माता सुख्खी बेवा रामचन्द्र का देहान्त हो गया है। जमाबन्दी मे अकिंत खातेदारान जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी मृत्यु के बाद

28.11.2024

ारिसान के नाम नामान्तकरण खोलकर जमाबन्दी मे लालस्याही से नोट लगा गया है ओर जमाबन्दी में अंकन कर दिया गया है। अतः वादी वादी स्वीकार ा जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने इकबालिया जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस 2046 में साबिक ख. नं. 1356/1 व 1357 दर्शित न होकर अन्य साबिक खसरा नम्बर दर्शित है। , प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस में ख. नं.1339 दर्शित है और इस सीट में अलग से यह अंकन सीट मे नं. 1850 रिकॉर्ड में 1339, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संम्वत 2073–76 में रामकरण पुत्र रामचन्द्र रामकरण मांग्या पि. रामचन्द्रा कन्या पुत्र रामचन्द्रा के साथ अन्य सहखातेदारान पक्षकारान के नाम का अंकन है। प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 में साबिक ख. नं. 1356 से हाल ख. नं. 833 रकबा 0.45 है0 व साबिक ख. नं. 1850 से हाल ख. नं. 1339 रकबा 1.11 है0 दर्शित है। प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2061–64 में खातेदारान के रूप में रामकरण पुत्र रामचन्द्र रामकरण मांग्या भंवरलाल पि. रामचन्द्रा सुखी बेवा कन्या पुत्री रामचन्द्रा के साथ अन्य सहखातेदारान पक्षकारान के नाम का अंकन है। , प्रदर्श–6 नकल ट्रेस साबिक सन् 1982–83 अनुसार इस नक्शा ट्रेस में ख. नं. 1823 से 1827, 1829, 1831, 1832,1849, 2028, 1851, 1853 व 1850 दर्शित है। प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2065–68 में खातेदारान के रूप में रामकरण पुत्र रामचन्द्र रामकरण मांग्या भंवरलाल पि. रामचन्द्रा सुखी बेवा कन्या पुत्री रामचन्द्रा के साथ अन्य सहखातेदारान पक्षकारान के नाम का अंकन है साथ ही इस जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में नामा0 संख्या 621 दिनांक 20.06.12 से विरासत से सुखी बेवा रामचन्द्रा का नाम हटाने की स्वीकृति हुई व भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र के बजाय घासीलाल पुत्र भूला बेवा भंवरलाल का नाम दर्ज का नामा0 स्वीकार और प्रतिवादीयो के नामान्तकरण के बारे में अंकन है। प्रदर्श–8 जमाबंदी सेटलमेंट से पूर्व सम्वत 2031 में रामकरण पुत्र रामचन्द्र कोम माली सा0 देह के नाम ख. नं. 1356/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा व ख. नं. 1356 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा दर्शित है। अप्रदर्शित दस्तावेज मिलान क्षैत्रफल भ–प्रबन्ध विभाग सम्वत

28.11.2024

65 के अनुसार साबिक ख. नं. 1356 मि. रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा से हाल ख. 349 रकबा 0.23 है0 व साबिक ख. नं. 1356/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 56/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 1355 व 1366 मि. रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से ाल ख. नं. 1850 रकबा 1.11 है0 बनना दर्शित है, जिसको न्यायहित में पढा गया

उक्त प्रदर्शो का विवेचन करने यह स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी सम्वत 2031–34 अनुसार वादीगण के पिता रामकरण के नाम ख. नं. 1356/1 रकबा 2 बीघां 6 बिस्वा व ख. नं. 1357 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा दर्ज थी। वादी अनुसार ख. नं. 1356/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा व ख. नं. 1357 रकबा 2 बीघा 7 से हाल ख. नं. 1850 रकबा 1.11 है0 बना है, जिसकी वादीगण अपने नाम खातेदारी चाहते है।

पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 अनुसार साबिक ख. नं. 1357 मि. रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा से हाल ख. नं. 1849 रकबा 0.23 है0 बना है और साबिक ख. नं. 1356/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 1356/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 1355 व 1366 मि. रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से हाल ख. नं. 1850 रकबा 1.11 है0 बना है, जो वादी अनुसार साबित नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध साबिक नक्शा शीट व हाल नक्शा शीट को भी एक दूसरे के उपर इम्पोज करने से यह साबित नहीं होता है कि हाल ख. नं. 1850 रकबा 1.11 है0 नं. 1356/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा व ख. नं. 1357 रकबा 2 बीघा 7 से हाल ख. नं. 1850 रकबा 1.11 है0 बना है, जबकि हाल ख. नं. 1850 रकबा 1. 11 है0 साबिक ख. नं. 1356/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 1356/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 1355 व 1366 मि. रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से हाल ख. नं. 1850 रकबा 1.11 है0 बनना दर्शित है।

सम्वत 2031–34 की जमाबन्दी में खातेदार के रूप में रामकरण पुत्र रामचन्द्र का ही नाम है परन्तु वादी द्वारा प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2061–64 व प्रदर्श–7 सम्वत 2065–68 पेश किया है जिनमें रामकरण पुत्र रामचन्द्र रामकरण मांग्या भंवरलाल पि. रामचन्द्रा सुखी बेवा कन्या पुत्री रामचन्द्रा के साथ अन्य सहखातेदारान पक्षकारान के नाम का अंकन है। यह अंकन किस प्रकार हुआ है, इसको साबित करने का भार वादीगण पर ही था, इसके लिए वादीगण को सम्वत 2031–34 के बाद का राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी पेश करनी चाहिए थे, साथ ही हाल

29.11.2024

1850 के आस पास के खसरा नम्बरान के खातेदारो के नाम के राजस्व ई पेश करना चाहिए था और हाल ख. नं. 1849 रकबा 0.23 है0 का खातेदार न है, इसके भी खातेदार का राजस्व दस्तावेज पेश करना चाहिए था।

वादीगण द्वारा ख. नं. 1850 रकबा 1.11 है, जिसके हाल ख. नं. 1339 रकबा 1.11 है0 पर वादीगण का ही कब्जा हो, अन्य का कब्जा नहीं हो। इस सम्बन्ध में भी वादीगण द्वारा किसी प्रकार राजस्व सबूत पेश नहीं किया गया है।

आदेश

उक्तानुसार विवेचन व विश्लेषण से यह साबित है कि वाद राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यो, मिलान क्षैत्रफल, साबिक नक्शा शीट व हाल नक्शा शीट से साबित नहीं होने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.11.2024

उपखण्ड अधिकारी
देवल